भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2084
दिनांक 29 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करना

2084. डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री बी.वाई.राघवेन्द्र:
श्री तेजस्वी सूर्या:
डॉ. जयसिद्देश्ववर शिवाचार्य स्वामीजी:
श्री एस. मुनिस्वामी:
श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को निर्धारित मासिक उपदान, प्रोत्साहन, सेवानिवृत्ति उपरांत लाभों के संदर्भ में वित्तीय लाभों में वृद्धि करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या कार्य योजना है;

(ग) क्या सरकार कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान समाज की सेवा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के योगदान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के परामर्श से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं का नियमितिकरण करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) और (ख) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) को भारत सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए मासिक मानदेय का भुगतान किया जाता है, जो सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एक समान है। वर्तमान में, केंद्र और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के बीच निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात में मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 4,500/- रुपये प्रति माह; लघु आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 3,500/- रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रति माह 2,250/- रुपये प्रति माह के मानदेय का भुगतान किया जाता है। साथ ही, आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 250/- रुपये प्रति माह और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 500/- रुपये प्रति माह का निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का भुगतान किया जाता है।

इसके अलावा, राज्य/संघ शासित क्षेत्र इन कार्यकर्त्रियों को अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय का भी भुगतान कर रहे हैं।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/सहायिकाओं को प्रेरित करने और अच्छे स्वैच्छिक कार्यों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार की एक स्कीम शुरू की गई है। चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 50,000/- रुपये और चयनित आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए 40,000/- रुपये के पुरस्कार का प्रावधान है।

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को स्वैच्छिक आधार पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन स्कीम के तहत स्वयं का नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया गया है ताकि 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर वे सुनिश्चित मासिक पेंशन प्राप्त कर सकें।

आशा की परिकल्पना सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक के रूप में की गई है और वे सिर्फ कार्य/गतिविधि आधारित प्रोत्साहनों की हकदार हैं। आशा को नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए प्रति माह 2000

रुपये की निश्चित मासिक प्रोत्साहन राशि मिलती है जिसका विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है। इसके अलावा, उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं जिसका विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एबी-एचडब्ल्यूसी) के संचालन के साथ आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ के बाद, आशा अब निगरानी निष्पादन संकेतकों के आधार पर एएनएम के साथ टीम आधारित प्रोत्साहन (टीबीआई) (1000 रुपये प्रति माह तक) के लिए भी पात्र हैं।

आशा कार्यकर्त्रियों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

आशाओं के महत्वपूर्ण योगदान और प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए आशा लाभ पैकेज की शुरुआत की गई थी। पैकेज में निम्नलिखित स्कीमों में नामांकन के माध्यम से सभी पात्र आशाओं के लिए जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है:

i) बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में 2.00 लाख रुपये के लाभ सहित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) (330 रुपये के वार्षिक प्रीमियम का अंशदान भारत सरकार द्वारा)।

ii) आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 2.00 लाख रुपये; आंशिक विकलांगता पर 1.00 लाख रुपये के लाभ सहित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम का अंशदान भारत सरकार द्वारा)।

iii) 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रति माह के पेंशन लाभ सहित प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन (पीएम-एसवाईएम) (प्रीमियम का 50% अंशदान भारत सरकार और 50% लाभार्थियों द्वारा)।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत, आशाओं सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा स्कीम शुरू की गई है। यह बीमा स्कीम कोविड-19 से संबंधित ड्यूटी के कारण जान गंवाने के मामले में 50.00 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा प्रदान करती है।

सरकार ने आशा के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशाओं को उनके योगदान की स्वीकृति के रूप में 20,000/- रुपये के नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र का भी अनुमोदन किया है।

(ग) और (घ) 1998 की सिविल अपील सं. 4953-4957-कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम अमीरबी एवं अन्य) में 07.12.2006 के फैसले में, माननीय उच्च-तम न्यायालय ने माना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोई सिविल पद धारित नहीं करते हैं और उन पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी लागू नहीं होता है। इसलिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को मानद कार्यकर्ताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साथ ही, कोविड 19 महामारी के दौरान उनके कठिन परिश्रम और योगदान के लिए, कोविड से संबंधित कार्य सौंपे गए और कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रही आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) के तहत कुछ शर्तों के अधीन 50 लाख रुपये के व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर सहित बीमा स्कीम में शामिल किया गया है।

''आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने'' के संबंध में दिनांक 29.07.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2084 के भाग (क) और (ख) से संदर्भित विवरण

अनुलग्नक-I

नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए आशाओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का विवरण

क्र.सं.	प्रोत्साहन	प्रोत्साहन सितंब)र 2018 (से

1	ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस या शहरी स्वास्थ्य और पोषण दिवसों का आयोजन करना और उसमें भाग लेना	200 रुपये/सत्र
2	वीएचएसएनसी और सूचित बैठक मासिक की एमएएस/ करना मार्गदर्शन	150 रुपये
3	ब्लॉक पीएचसी लेना भाग में बैठक मासिक की यूपीएचसी/	150 रुपये
4	क. वर्ष की शुरुआत में किए गए परिवारों की लाइन सूचीकरण और हर छह महीने में अद्यतन	300 रुपये
	ख. ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर का रखरखाव और जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक पंजीकरण को मासिक आधार पर अद्यतन करने में सहयोग करना	300 रुपये
	ग. टीकाकरण किए जाने वाले बच्चों की मासिक आधार पर नियत सूची तैयार करना	300 रुपये
	घ. मासिक आधार पर अद्यतन की जाने वाली एएनसी लाभार्थियों की सूची तैयार करना	300 रुपये
	ङ. पात्र दंपत्तियों की मासिक आधार पर सूची तैयार करना	300 रुपये
	योग	**2000/- रुपये**

		अनुलग्नक-II
	विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए निष्पादन-आधारित प्रोत्साहनों का विवरण	
	गतिविधियां	**रुपये में राशि/मामला**
I	**मातृ स्वास्थ्य**	
1	जेएसवाई वित्तीय पैकेज	
क.	महिला को प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करने के लिए	300 रुपये/200 रुपये (ग्रामीण/शहरी क्षेत्र)
ख.	संस्थागत प्रसव की सुविधा प्रदान करने के लिए	300 रुपये/200 रुपये (ग्रामीण/शहरी क्षेत्र)
2	महिलाओं की मृत्यु सूचित करना	200 रुपये (24 घंटे के भीतर रिपोर्ट करना)
II	**बाल स्वास्थ्य**	
1	नवजात और प्रसवोत्तर माता आदि की देखभाल/छोटे बच्चे की देखभाल/अनुवर्ती कार्रवाई के लिए होम विजिट	250 रुपये/50 रुपये प्रति विजिट/ एमयूएसी के 125 एमएम के बराबर या अधिक न होने पर ही 150 रुपये
2	**सघन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा**	
क.	सप्ताह-1-पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों वाले परिवारों को ओआरएस के रोगनिरोधी वितरण के लिए आशा प्रोत्साहन	पांच वर्ष से कम आयु के 100 बच्चों के लिए 1 रुपये प्रति ओआरएस पैकेट
ख.	सप्ताह-2- गांव में सभी बच्चों की बढ़त की निगरानी की सुविधा के लिए आशा प्रोत्साहन	कम से कम 80% परिवार पूरे करने पर 100 रुपये प्रति आशा
ग.	एमएए (मां का पूर्ण स्नेह) कार्यक्रम	100 रुपये/आशा/तिमाही बैठक
III	**टीकाकरण**	
1	एक वर्ष से कम/दो वर्ष तक के बच्चे का पूर्ण टीकाकरण	100 रुपये/75 रुपये
2	ओपीवी टीकाकरण/डीपीटी बूस्टर के लिए बच्चों को जुटाना	100 रुपये प्रति दिन/50 रुपये
IV	**परिवार नियोजन**	
1	पहले बच्चे के जन्म के बाद 2 साल/3 साल की दूरी सुनिश्चित करना/विवाह के बाद 2 बच्चों के बाद स्थायी रूप से सीमित करने की विधि	500 रुपये/500 रुपये/1000 रुपये
2	ट्यूबेक्टोमी के मामलों में परामर्श, प्रेरणा और अनुवर्ती कार्रवाई	अधिक प्रजनन दर वाले 11 राज्यों में 200 रुपये, 146 एमपीवी जिलों में 300 रुपये, बाकी राज्यों में 150 रुपये/200 रुपये
3	पुरुष नसबंदी और एनएसवी और महिला प्रसवोत्तर नसबंदी के मामलों की परामर्श, प्रेरणा और अनुवर्ती कार्रवाई	अधिक प्रजनन दर वाले 11 राज्यों में 300 रुपये, 146 एमपीवी जिलों में 400 रुपये, बाकी राज्यों में 200 रुपये
मिशन परिवार विकास- छह राज्यों में चयनित 146 जिलों (उ .प्र.में 57, बिहार में 37, राजस्थान में 14, झारखंड में 9, छत्तीसगढ़ में 2 और असम में 2) में		
4	इंजेक्टेबल गर्भनिरोधक एमपीए (अंतरा कार्यक्रम) और एक गैर-हार्मोनल साप्ताहिक सेंटक्रोमैन गोली (छाया) - आशा को प्रोत्साहन	100 रुपये प्रति खुराक
5	मिशन परिवार विकास अभियान ब्लॉक स्तरीय गतिविधियां	150 रुपये/आशा/राउंड
6	नई पहल - नव विवाहितों के लिए एक एफपी किट	100 रुपये/आशा/नई पहल किट वितरण
7	सास बहू सम्मेलन - सम्मेलन के लिए सास बहू को जुटाना-अधिकतम चार राउंड	100 रुपये/प्रति बैठक
8	प्रत्येक एमपीवी अभियान से पहले ईसी सर्वेक्षण का अद्यतन	150 रुपये/आशा/तिमाही राउंड
V	**किशोर स्वास्थ्य**	
1	किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन्स	1 रुपये/6 सैनिटरी नैपकिन का पैक
2	मासिक धर्म स्वच्छता के संबंध में किशोरियों के साथ मासिक	50 रुपये/बैठक

	बैठक आयोजित करना	
3	पीएलए बैठकों का संचालन - माह प्रति बैठकें 2	100 रुपये/आशा/प्रति बैठक
VI	**संशोधित राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम**	
1	तपेदिक रोगियों की श्रेणी I/श्रेणी II के लिए (तपेदिक के नए मामले/ पहले इलाज किए गए)	42 संपर्कों के लिए 1000 रुपये/57 संपर्कों के लिए 1500 रुपये
2	दवा प्रतिरोधी तपेदिक रोगियों के उपचार और सहायता के लिए	इलाज के पूरे कोर्स के लिए 5000 रुपये
3	संदर्भित संदिग्ध को एमओ/लैब द्वारा तपेदिक रोगी होने का निदान किए जाने पर अधिसूचना के लिए	100 रुपये
VII	**राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम**	
1	33 राज्यों (गोवा, चंडीगढ़ और पुदुच्चेरी के सिवाय) में कुष्ठ रोग के पॉसीमामलों बेसिलरी-/बहु-बेसिलरी मामलों में उपचार।	250 रुपये (निदान के लिए) + 400 रुपये/600 रुपये (अनुवर्तन के लिए)
VIII	**राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम**	
1	मलेरिया- आरडीटी या पॉजिटिव पीएफ मामलों के समूल उपचार के लिए रक्त स्लाइड तैयार करना/पूर्ण उपचार	15 रुपये प्रति स्लाइड/75 रुपये प्रति पॉजिटिव केस
2	लिम्फेटिक फाइलेरिया-मामलों का सूचीकरण	200 रुपये
3	एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम/जापानी इंसेफेलाइटिस	
	एईएस/जेई मामलों को नजदीकी सीएचसी/डीएच/मेडिकल कॉलेज में रेफर करना	300 रुपये प्रति केस
4	काला जार का उन्मूलन	
	स्प्रे राउंड (आईआरएस) के दौरान/संदिग्ध मामले को रेफर करने में आशा की भागीदारी	100/- रुपये प्रति राउंड/500 रुपये प्रति अधिसूचित केस
5	डेंगू और चिकनगुनिया	
	12 उच्च स्थानिक राज्यों में डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए स्रोत में कमी और आईईसी गतिविधियों के लिए प्रोत्साहन।	200/- रुपये (5 माह के लिए अधिकतम 200 घर प्रति माह पर 1 रुपये/घर - व्यस्त सीजन के दौरान)
6	राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम	
	नमक के परीक्षण के लिए आशा को प्रोत्साहन	25 रुपये/माह (नमक के 50 नमूनों पर)
IX	**सीपीएचसी और सार्वभौमिक एनसीडी स्क्रीनिंग के तहत प्रोत्साहन**	
1	डेटा का सत्यापन और अतिरिक्त जानकारी का संग्रह बनाए रखना	5 रुपये/फॉर्म/परिवार
2	प्रत्येक व्यक्ति के सीबीएसी फॉर्म भरना	10 रुपये/प्रति फॉर्म/प्रति व्यक्ति
3	रोगियों का अनुवर्तन	50 रुपये/प्रति केस/द्वि-वार्षिक
4	सीपीएचसी के तहत नए सेवा पैकेजों की प्रदायगी	1000 रुपये/आशा/प्रति माह
X	**पेयजल और स्वच्छता**	
1	परिवारों को शौचालय निर्माण और व्यक्तिगत नल कनेक्शन के लिए प्रेरित करने और शौचालयों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए	75 रुपये प्रति परिवार

****